भारत में कृषि मुद्दे, प्राथमिकताएं एवं योजनायें

आशुतोष उपाध्याय

"भारत वर्ष में लगभग तीन चौथाई परिवार ग्रामीण आय पर आश्रित हैं और देश की सर्वाधिक निर्धन (लगभग 77 करोड़ लोग या 62 प्रतिशत) आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में पायी जाती है। भारतीय खाद्य सुरक्षा, खाद्यान्न उत्पादन, फल, सब्जी, दुग्ध, मांस, एवं अंडे उत्पादन को बढ़ाने पर निर्भर करती है ताकि बढ़ती हुई जनसंख्या की मांग पूरी हो सके और उनकी आय भी बढ़ सके। प्रस्तुत हैं कुछ महत्वपूर्ण विचारणार्थ कृषि सम्बंधित मुद्दे, प्राथमिकताएं एवं योजनाएं जिन पर अमल करके और नीतिगत फैसले लेकर खाद्यान्न उत्पादन बढ़ाया जा सकता है व खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित की जा सकती है।"

कृषि क्षेत्र का महत्व, भारतीय आर्थिक व सामाजिक परिपेक्ष्य में कम नहीं आँका जा सकता है, क्योंकि भारत वर्ष में लगभग तीन चौथाई परिवार ग्रामीण आय पर आश्रित है। इस देश के सर्वाधिक निर्धन (लगभग 77 करोड लोग या 62 फीसदी आबादी) ग्रामीण क्षेत्रों में पायी जाती है। और भारतीय खाद्य सुरक्षा खाद्यान्न उत्पादन, फल, सब्जी, दुग्ध, मांस, एवं अंडे उत्पादन को बढ़ाने पर निर्भर करती है। ऐसा करने के लिए कृषि के क्षेत्र में निरंतर उत्पादनशीलता, स्पर्धा, विविधी करण व स्थायित्व पाने की दिशा में सतत प्रयास करने होंगे। यह विश्व का सर्वाधिक दुग्ध, दलहन और मसाले उत्पादन करने वाला देश है. यहाँ पर विश्व की सबसे अधिक भैसें हैं. एवं धान, गेहूँ व कपास के अन्तर्गत क्षेत्रफल भी सर्वाधिक है। हमारा देश धान, गेहूँ, कपास, गन्ना, फल, सब्जियां, चाय, मत्स्य, भेड़ व बकरी के माँस के उत्पादन में विश्व में द्वितीय स्थान पर है। हमारे देश में 1950 लाख हे० भूमि खेती योग्य है, जिसमे 63 फीसदी (लगभग 1250 लाख हे०) वर्षाश्रित है, जबकि 37 फीसदी (लगभग 700 लाख हे०) सिंचित क्षेत्र है। इसके अतिरिक्त लगभग 650 लाख हे० भारत की भूमि जंगलों से आच्छादित है।

चुनौतियाँ

सम्पूर्ण विकास और ग्रामीण निर्धनों के कल्याण के लिए कृषि के तीन क्षेत्रों में चुनौतियाँ महत्वपूर्ण होंगी।

1. प्रति इकाई भूमि से कृषि उत्पादकता में वृद्धि – भूमि सीमित संसाधन है अतः, प्रति इकाई भूमि से कृषि उत्पादकता में वृद्धि ही कृषि वृद्धि में सहायक होगी जल के स्रोत भी सीमित हैं। धीरे धीरे कृषि के लिए जल की उपलब्धता भी कम होती जा रही है, क्योंकि कारखानों व शहरों की जल की आवश्यकता बढ़ती जा रही है। उत्पादकता वृद्धि के सभी उपाय जैसे उपज में वृद्धि, ज्यादा कीमत वाली फसलों द्वारा विविधीकरण और मूल्य संवर्धन श्रृंखला का विकास आदि विषयों पर ध्यान देने की आवश्यकता है।

2. ग्रामीण निर्धनता कम करने के लिए कृषि एवं गैर कृषि संबंधी रोजगार जनकर सामाजिक विकास– ग्रामीण विकास से निर्धनों, भूमिहीन, महिलाओं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति के किसानों को लाभ मिलना चाहिए। भारतवर्ष में क्षेत्रीय असमानताएं भी बहुत हैं। आबादी का अधिकतम निर्धन भाग वर्षाश्रित पूर्वीय इनडो–गंगेटिक सपाट क्षेत्र में रहता है। इन लोगों तक पहुँच पाना आसान नहीं रहा है। यद्यपि प्रगति हुई है 1990 में 40 फीसदी निर्धन ग्रामीण आबादी थी जो सन् 2000 में घटकर 30 फीसदी रह गयी। अर्थात औसतन 1 फीसदी प्रति वर्ष ग्रामीण निर्धन आबादी में कमी आयी. और तेजी से ग्रामीण निर्धन आबादी में कमी आने की आवश्यकता है। सरकार व विश्व बैंक के ग्रामीण विकास प्रयास निर्धनता उन्मूलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।

3. कृषि वृद्धि खाद्य सुरक्षा की आवश्यकता के अनुसार सुनिश्चित करना – भारत में हरित क्रांति के दौरान खाद्यान्न उत्पादन में तीव्र वृद्धि हुई, जिसके कारण हमारा देश खाद्यान्न में आत्म निर्भर हो गया और भुखमरी की त्रासदी से बच गया। 1970 से 1980 के दौरान कृषि तीव्रता बढ़ने पर यह देखा गया कि ग्रामीण मजदूर की माँग और उनकी दैनिक आय बढ़ी, जिससे खाद्य पदार्थों के दाम घटे और ग्रामीण निर्धनता घटी। यद्यपि 1990 से 2000 के बीच कृषि वृद्धि में औसतन 3.5 फीसदी प्रति वर्ष कमी आयी और खाद्यान्न उत्पादन में प्रति वर्ष 1.4 फीसदी की वृद्धि हुई। कृषि वृद्धि में कमी चिंतन योग्य है। हमारे देश की धान की उपज चीन की उपज की एक तिहाई है और वियतनाम व इंडोनेशिया का लगभग आधा है। अन्य अधिकतर कृषि उत्पादों में भी ऐसी ही स्थिति है।

अतः नीति निर्धारकों को नीतियों में सुधार करने नई योजनायें बनाने को आवश्यक कदम उठाने की आवश्यकता है क्योंकि निर्मित योजनायें आधुनिक परिपेक्ष्य में देश में उत्पादकता बढ़ाने, विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धा बढ़ाने, और कृषि क्षेत्र में विविधी करण को बढ़ावा देने में सक्षम नहीं हैं।

सहायतार्थ प्राथमिक क्षेत्र

1. कृषि उत्पादकता, स्पर्धा एवं ग्रामीण संवृद्धि में बढ़ावा देना –

(i) नई तकनीकों को बढ़ावा देना एवं कृषि अनुसंधान व प्रचार प्रसार में सुधार– कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान एवं प्रचार प्रसार व्यवस्था को पूर्ण रूपेण दुरुस्त करने की आवश्यकता है। विगत कई वर्षों से इन सेवाओं में वित्तीय अभाव के कारण समस्या आधारित नई तकनीकों का विकास नहीं हो पा रहा है। और पुरानी पद्यति से ही अधिकतर किसान कृषि कार्य करने को विवश हैं। देश में कृषि विज्ञान केन्द्र अधिकतर जिलों में हैं. लेकिन ये केन्द्र धन व जन बल के अभाव में जिले के किसानों की कृषि सम्बन्धी समस्याएं सुलझाने में असमर्थ हैं। ये केन्द्र प्रत्यक्ष क्षेत्र प्रदर्शन और प्रशिक्षण द्वारा किसानों की सहायता करने का प्रयास करते हैं। जन संचार सेवाओं का हाल भी अच्छा नहीं है और ये किसानों को नया ज्ञान देने में समर्थ नहीं हैं। अनुसंधान और प्रसार में या इन सेवाओं और निजी क्षेत्र में बहुत ही नाजुक रिश्ता है, जिसे मजबूत करने की आवश्यकता है।

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का पूर्वी क्षेत्र अनुसंधान परिसर, पटना

(ii) जल संसाधनों, सिंचाई, जल निकास प्रबंधन में सुधार– भारतवर्ष में कृषि, जल की सबसे बड़ी उपभोक्ता है। बढ़ती जनसंख्या के कारण, औद्योगिक एवं घरेलू उपयोग के लिए जल की आवश्यकता बढ़ती जा रही है। अतः जल की सभी उपभोक्ताओं की मांग को ध्यान में रखते हुए, बड़े स्तर पर योजनाबद्ध ढंग से उपयोग व प्रबंध करने की आवश्यकता है। जैसे जैसे शहरी व अन्य आवश्यकताएं बढेंगी, सिंचाई के लिए कम जल ही उपलब्ध हो पायेगा। अतः ऐसे रास्ते तलाशने होंगे जिनसे सिंचाई जल की उत्पादकता बढ़े। पाइप के द्वारा जल का संवहन, उत्तम प्रक्षेत्र जल प्रबंधन, और दक्ष सिंचाई व्यवस्था जैसे टपक जल पद्यति (ड्रिप इर्रिगेशन) या बौछारी विधि से सिंचाई (स्प्रिंकलर इर्रिगेशन) आदि उपायों के बारे में सोचा जा सकता है. जिन क्षेत्रों में भू जल पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है, वहाँ इसका दक्ष सदुपयोग सिंचाई में करना है। जहाँ पर भू गर्भीय जल का स्तर नीचे जा चुका है, वहाँ पर वर्षा या अन्य स्रोत के जल रिसाव द्वारा भू गर्भ में जल भण्डारण करना है। वर्षा जल, भू जल और नहरी जल के संयुक्त उपयोग को बढ़ावा देना होगा ताकि जल के किसी एक स्रोत पर दबाब न पड़े. सिंचाई एवं जल निकास विभागों का आधुनिकीकरण, सहभागी सिंचाई प्रबंधन, तकनीक विकास व क्रियान्वयन में किसानों का सहयोग, आपासी वसूली में सुधार, जनता के धन को ज्यादा लाभ देने वाली परियोजनाओं में व्यय करना, संसाधनों के रखरखाव और परिचालन के लिए उपयुक्त धन उपलब्ध करवाना अन्य विचारणीय मुद्दे हैं।

(iii) अधिक लाभ के लिए कृषि विविधीकरण करना– अधिक लाभ देने वाली चीजों की तरफ किसानों को प्रोत्साहित करना (विशेष रूप से जहाँ वर्षाश्रित खेती होती है और निर्धनता ज्यादा है) कृषि में वृद्धि के लिए आवश्यक है। इसके अतिरिक्त कृषि प्रसंस्करण के विस्तार, और उत्पादक से बाजार व वितरक तक मूल्य संवर्धन श्रृंखला बनाने की भी अच्छी संभावनाएं हैं। कृषि विविधीकरण के विकल्पों को किसानों पर छोड़कर, भारत सरकार विपणन, आयात, निर्यात एवं प्रसंस्करण सम्बन्धी समस्याओं में सुधार कर सकती है। सही नीति निर्धारण करके बाधाओं को हटा सकती है और किसानों के उत्पाद को सही मूल्य दिला सकती है।

(iv) अधिक वृद्धि वाली वस्तुओं को बढ़ावा देना– कुछ कृषि सम्बंधित व्यवसाय जैसे डेयरी के विस्तार की असीम संभावनाएं हैं। पशु पालन का क्षेत्र, मुख्यतः डेयरी, कृषि के सकल घरेलू उत्पाद का एक चौथाई है और 70 फीसदी भारतीय ग्रामीण परिवार (जिनमें से अधिकतर गरीब और महिलाओं पर आश्रित हैं) की आय का स्रोत भी है। दुग्ध उत्पादन में लगभग 4 फीसदी प्रति वर्ष की वृद्धि अच्छी है, लेकिन भविष्य में घरेलू मांग को देखते हुए इसे 5 फीसदी प्रति वर्ष की दर से बढ़ना चाहिए। दुग्ध उत्पादन, निम्न अनुवांशिक गुणवत्ता वाली गायों, अपर्याप्त पोषक तत्वों, अप्राप्य स्वास्थ्य सुरक्षा और अन्य कारणों के कारण कम होता है। एक समयबद्ध योजना बनाकर इन समस्याओं से निपटा जा सकता है, जिससे उत्पादन में वृद्धि होगी और निर्धनता भी दूर होगी।

(v) बाजारों का विकास, कृषि ऋण और जनता के खर्चे– भारत सरकार का कृषि विपणन में बहुत अधिक दखलनदाजी सरकार की विरासत रही है, जिसके कारण आतंरिक व वाह्य व्यापार में बहुत परेशानियां होती हैं और किसानों को उनके उत्पाद का न तो सही मूल्य तय करने का अवसर और न ही सही मूल्य मिल पाता है। बिचौलिए बेचने और खरीदने की प्रक्रिया में बहुत अधिक लाभ कमाते हैं। यद्यपि गैर सरकारी संस्थानों का बाजारों में, मूल्य संवर्धन एवं कृषि प्रसंस्करण में निवेश बढ़ रहा है, पर धीमी गति से। यद्यपि कुछ प्रतिबन्ध हटा लिए गये हैं, फिर भी विविधिकरण एवं उपभोक्ता के लिए कीमतों को और कम करने की आवश्यकता है। उपलब्ध वित्त पर ग्रामीण निर्धनों को पूरी जानकारी हो, पहुंच हो, और उनको समय पर वित्तीय संस्थानों से ऋण मिल सके। इसमें सुधार की आवश्यकता है। बिजली, खाद, सिंचाई व कृषि यंत्रों आदि पर अनुदान से सरकार का खर्चा, चार गुना बढ़ा है, इसके कारण कृषि शोध एवं विस्तार जैसी उच्च प्राथमिकताएं प्रभावित हुई हैं।

2. निर्धनता उन्मूलन एवं सामुदायिक कार्य– यद्यपि कृषि में वृद्धि, खुद, गरीबी रेखा के नीचे रह रहे 1700 लाख ग्रामीण लोगों की आय में वृद्धि का आधार है, फिर भी वृद्धि को समृद्ध बनाने के लिए अतिरिक्त उपाय करने की आवश्यकता है. उदाहरणार्थ, ग्रामीण जीविकोपार्जन कार्यक्रम, जो समुदायों को सशक्त व आत्मनिर्भर बनाता है, काफी प्रभावशाली और विस्तार करने हेतु उपयुक्त पाया गया है। यह कार्यक्रम स्वयं सहायता समूह बनाने के लिए प्रेरित करता है, समुदाय की बचत बढाता है, और आय व रोजगार बढ़ाने वाले स्थानीय प्रयासों को बढ़ावा देता है। छोटे छोटे समुदाय मिलकर बड़ा समुदाय बना लेते हैं. और गरीबों की ऐसी संस्थाएं उत्पाद को बाजार तक पहुंचाने व अच्छी कीमत पाने में सक्षम हो जाती हैं। इन संस्थाओं की राजनैतिक क्षमता भी स्थानीय सरकार से अच्छी हो जाती है जिस कारण ये संस्थाएं तकनीक व सामाजिक सेवाएं भी अर्जित कर लेती हैं। अधिकतर ऐसे स्वयं सहायता समूह महिलाओं व गरीब परिवारों की मदत करने में सक्षम पाये गये हैं।

3. वातावरण व भविष्य में कृषि उत्पादकता को बरकरार रखना– भारतवर्ष के कई भागों में, कृषि में सिंचाई के लिए भूगर्भीय जल का अत्यधिक दोहन हो रहा है, जिसके कारण भूगर्भीय जल का स्तर नीचे जा रहा है। इसके विपरीत कुछ स्थानों पर जल जमाव की समस्या है व सिंचित भूमि में लवण की मात्रा बढ़ रही है। दूसरी तरफ वर्षाश्रित क्षेत्रों में, जहाँ अधिकांश ग्रामीण जनता निवास करती है, ऐसी कृषि तकनीक अपनाने की आवश्यकता है जिससे मृदा क्षरण कम हो और वर्षाजल का रिसाव होकर भण्डारण ज्यादा हो। अतिक्षरित व अतिशोषित भूमि को वनाच्छादित करना होगा। सब प्रकार के क्षरित मृदाओं के लिए समाधान उपलब्ध हैं। सहभागी जलछाजन प्रबंधन एक वृहद कार्यक्रम है जहाँ समुदाय भूमि उपयोग योजना, मृदा क्षरण को रोकने के लिए कृषि तकनीकें, ज्यादा जल को सोखने की तकनीकें, और अधिक उत्पादन व फसल विविधता द्वारा उत्पादकता बढ़ाने की तकनीकें अपनाता है। फिर भी, ऐसे प्रयासों को देश के बड़े भूभाग में करना एक चुनौती है। पर्यावरण में परिवर्तन भी विचारणीय मुद्दा है। देश में और ज्यादा बाढ़, सूखा, असमान्य वर्षा वाली चुनौतियाँ आ सकती हैं जिनका देश के वर्षाश्रित क्षेत्रों पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा। कृषि शोध और विस्तार के साथ साथ, सहभागी जलछाजन कार्यक्रम फसलों की नयी प्रजातियों और नए प्रक्षेत्र तकनीकों के अपनाने के कृषि कार्यक्रम के लिए उपयुक्त है। लेकिन जलछाजन

कार्यक्रम के अन्य पहलू जैसे, जीविकोपार्जन कार्यक्रम और गैर प्रक्षेत्र रोजगार का विकास भी अहम बिंदु हैं।

कृषि एवं ग्रामीण विकास कार्यक्रमों में बैंकों का योगदान मुख्यतः तीन मूल बिंदुओं पर आधारित है।

i. कृषि, जलछाजन और प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन
ii. जल एवं सिंचित खेती
iii. ग्रामीण जीविकोपार्जन विकास

पिछले कई वर्षों से, बैंक निम्नलिखित सहायता दे रही है.

- कृषि तकनीकों में अनुसंधान एवं विकास
- कृषि तकनीकों का विस्तार
- सिंचाई जल का बेहतर प्रयोग
- वर्षाश्रित कृषि विकास एवं जल छाजन द्वारा टिकाऊ खेती
- ग्रामीण ऋण के प्रति किसानों में जागरूकता पहुँचाना और महिलाओं का योगदान बढ़ाना
- कृषि बीमा योजना को और कामयाब बनाने के प्रयास
- कृषि बाजारों में किसानों की पहुँच बढ़ाना
- ग्रामीण संपर्क योजना का सुदृढीकरण

भारत सरकार की योजनायें एवं नीतियां

कृषि उत्पादन बढ़ाने हेतु व कृषकों की आय को 2022 तक दुगना करने के लिए भारत सरकार निम्नलिखित 15 बिन्दुओं पर योजनाएँ बनाकर प्रयास कर रही है।

(i) मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना
(ii) जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना के तहत राष्ट्रीय टिकाऊ खेती मिशन
  - वर्षाश्रित क्षेत्र विकास
  - मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन
  - कृषि वानिकी उपमिशन
  - समेकित पोषण प्रबंधन के तहत परम्परागत कृषि विकास योजना
  - भारत की मृदा एवं भूमि उपयोग संरक्षण
  - राष्ट्रीय वर्षाश्रित क्षेत्र प्राधिकरण
  - पूर्वोत्तर क्षेत्र में जैविक मूल्य श्रृंखला विकास मिशन
  - राष्ट्रीय जैविक कृषि केंद्र
  - केन्द्रीय खाद गुणवत्ता नियंत्रण एवं प्रशिक्षण संस्थान

(iii) नीम लेपित यूरिया का उपयोग
(iv) प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना
  - त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम
  - हर खेत को पानी
  - जल छाजन
  - हर एक जल की बूंद से अधिक फसल
(v) परम्परागत कृषि विकास योजना
(vi) राष्ट्रीय कृषि बाजार (ई–नाम)
(vii) सूक्ष्म सिंचाई को बढ़ावा देने हेतु 5000 करोड़ की वित्त व्यवस्था नावार्ड के माध्यम से
(viii) कृषि में अनिश्चितता से निपटने के लिए योजना
(ix) राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत वर्षाश्रित क्षेत्र विकास कार्यक्रम
(x) वर्षाश्रित क्षेत्र के लिए राष्ट्रीय जल छाजन विकास परियोजना
(xi) प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना
(xii) पशु बीमा योजना
(xiii) मछुआरों के कल्याण हेतु राष्ट्रीय योजना
(xiv) मछुआरों के प्रशिक्षण एवं विस्तार हेतु योजना
(xv) ग्रामीण भण्डारण योजना

भारत सरकार व राज्य सरकार द्वारा लिए गए कुछ सराहनीय कदम

- कृषि तकनीक विस्तार के नये नए तरीके जैसे कृषि तकनीक प्रबंध अभिकरण द्वारा आसाम व उत्तर प्रदेश में कृषि विविधीकरण में योगदान किया गया है। यह तकनीक विस्तार का तरीका पूरे भारत वर्ष में अपनाना सराहनीय कदम होगा।
- विश्व बैंक की मदद से कई परियोजनाओं (बड़े सिंचाई क्षेत्र से स्थानीय तालाब व अन्य जल भण्डारण संरचनाओं) में बेहतर व दक्ष तरीके से सिंचाई जल खेत तक पहुँचाया गया है. परियोजनाओं ने विभिन्न राज्यों (जैसे आन्ध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, राजस्थान, तमिलनाडु, बिहार व उत्तरप्रदेश आदि) में न केवल सतही जल से सिंचाई संबधित संस्थाओं को सशक्त किया है वरन बेहतर भूगर्भीय जल प्रबन्ध अपनाने को भी प्रेरित किया है।
- कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में जलछाजन एवं वर्षाश्रित खेती के विकास द्वारा टिकाऊ खेती अपनाना, उत्तरप्रदेश में भूमि सुधार कार्यक्रम, और राजस्थान कृषि स्पर्धात्मक परियोजना में उत्तम भू जल प्रबन्ध अपनाना आदि शामिल हैं।
- आन्ध्रप्रदेश, मध्यप्रदेश, ओडिशा, बिहार, राजस्थान, तमिलनाडु आदि राज्यों में ग्रामीण पूंजी पर बेहतर पहुंच बनाने का प्रयास और ग्रामीण आजिविका को बढ़ाने के लिए ग्रामीण अर्थव्यवस्था में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाना सराहनीय रहा है और शीघ्र ही भारत सरकार राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत इस कार्यक्रम को अन्य राज्यों में भी ला रही है।
- नयी नयी तकनीकें (जैसे मूल्यांकन का तरीका, मोबाइल, रिमोट सेन्सिंग तकनीक, सूचक बीमा तकनीक द्वारा उत्पादन का प्राकलन) का कृषि बीमा योजना की संरचना में समावेश करके और बेहतर तरीके से बीमा योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए भारत सरकार को सलाह दी जा सकती है।

निष्कर्ष : भारत वर्ष में कृषि का समुचित विकास करने के लिए तथा सन 2022 तक किसानों की आय को दुगना करने के संकल्प को पूरा करने के लिए किसान व कृषि वैज्ञानिकों के बीच वार्ता एवं उचित परामर्श, उत्तम आदान, तकनीकों, फार्म संयंत्रों व सिंचाई की सुविधाओं का सही समय पर उपलब्धता एवं कार्यान्वयन, मूलभूत सुविधाओं (जैसे खाद्य प्रसंस्करण एवं खाद्यान्न भडारण) हेतु विकास, खाद्यान्न विक्रय हेतु अच्छे बाजार तक किसानों की पहुँच, वित्तीय संस्थाओं का साथ, नीति निर्मातों द्वारा उचित योजनायें बनाना अतिआवश्यक हैं। पर कृषि में विकास तभी संभव हो पायेगा जब नीतियों का पूरी ईमानदारी के साथ क्रियान्वयन हो और जरूरतमंद किसान तक इन योजनाओं का लाभ पहुँच सके।